आदेश या आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
11/5/17	[illegible] क्र. 2 व 3 [illegible] दि० 26/5/17 को पेश हो। [illegible signature] सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) दूदू	
6/6/17	आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत एवं कैम्प कोर्ट अभियान 'न्याय आपके द्वार' 2017 मुकाम ग्राम पंचायत [illegible] में पेश हुयी। पक्षकारान् एवं अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित नहीं। अतः पत्रावली सुनवाई हेतु न्यायालय में लौटाई जाती है। पत्रावली आगामी दिनांक 26/7/17 को न्यायालय में पेश हो। [illegible signature] सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) दूदू	
26/7/17	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप. [illegible] प्रतिवादी क्र. 2 व 3 [illegible] [illegible signature] सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) दूदू	

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी– श्री त्रिलोक चन्द मीना आर.ए.एस.

राजस्व वाद–पत्र संख्या : 186/2016

वाद दायरी दिनांक : 26/09/2016

निर्णय दिनांक : 26/07/2017

श्रवणलाल पुत्र कानाराम, उम्र 32 साल, जाति जाट, निवासी गणेशपुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

–– वादी

बनाम

1. बद्री पुत्र कानाराम, उम्र 42 साल, जाति जाट, निवासी गणेशपुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
2. शाखा प्रबन्धक महोदय, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा दूदू जिला जयपुर, राज0।
3. तहसीलदार तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।

–– प्रतिवादीगण

वाद इस्तकरारहक घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति

मुकेश चौधरी
विद्वान अधिवक्ता वादी
नानूराम धाभाई
शेख अनवर अली
विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1

निर्णय दिनांक 26/07/2017

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत इस्तकरार हक, घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी जमाबन्दी सम्वत 2069 से 2072 के खतौनी संख्या 74 के आराजी खसरा नम्बर 9 रकबा 1.1100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 10 रकबा 0.1500 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 1.2600 हैक्टेयर वाके ग्राम डोगरा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर में स्थित हैं व जमाबन्दी सम्वत 2069 से 2072 के आराजी खाता संख्या 156 के आराजी खसरा नम्बर 1941 रकबा 1.0300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1942 रकबा 0.6300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1943 रकबा 0.9600 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 2.6200 हैक्टेयर वाके ग्राम मांगलवाड़ा, तहसील मौजमाबाद, जिला

Scanned by CamScanner

जयपुर में स्थित है, जो वर्तमान में अकेले प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जबकि इसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर–बराबर अर्थात 1/2–1/2 हिस्सा हैं तथा इसी अनुसार काबिज काश्त एंव खातेदार काश्तकार है तथा लगान सरकारी अपने–अपने हिस्से अनुसार जमा कराते आ रहे हैं। पक्षकारान का सजरा खानदान निम्न प्रकार से प्रस्तुत है:–

कानाराम

बद्री — वादी

श्रवणलाल — प्रतिवादी

उपर्युक्त सजरे अनुसार पक्षकारान एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है तथा विवादित आराजीयात पक्षकारान की संयुक्त कब्जें काश्त की आराजीयात रही हैं। पक्षकारान एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है जो शुरू से ही शामलाती में रहते आ रहे है तथा वर्तमान में भी शामिल में रहते आ रहे हैं। विवादित आराजीयात पक्षकारान के पिता कानाराम ने अपने जीवनकाल में ही अपनी पुत्रों व अपनी स्वंय की संयुक्त परिवार की संयुक्त आय से क्रय कर अपने बड़े पुत्र बद्री अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज करवा दी, जबकि मौके पर उक्त आराजीयात पर पक्षकारान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 अपने–अपने हिस्से 1/2–1/2 अनुसार काबिज काश्त हैं। चूंकि भारतीय समाज में अभी भी परम्परा है कि परिवार में बडा भाई ही कर्ता खानदान होता है, वही परिवार की समस्त लेनदेन एवं परिवार की बागडोर अपने हाथ में रखता है इसलिये शामिल में रहते हुये परिवार में बड़ा भाई होने से उक्त आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1 के नाम करवाई गयी है, लेकिन विवादित आराजीयात वादी एवं प्रतिवादी 1/2 हिस्से पर कब्जें काश्त हैं। विवादित आराजीयात पर मौके पर 1/2 हिस्से पर वादी एवं 1/2 हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज काश्त हैं जब भी वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को अपना 1/2 हिस्सा नाम लगाने हेतु कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 मात्र आश्वासन ही देता रहा कि मौके पर काबिज काश्त हो कभी भी नाम लगवा दूंगा, चूंकि दोनों सगे भाई थे, इसलिये वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 की बात पर विश्वास कर लिया। वर्तमान में जमीनों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि हो गयी है, जिससे इस आर्थिक युग में हुयी अप्रत्याशित वृद्धि से प्रतिवादी संख्या 1 की नीयत खराब हो गयी है तथा वह उक्त आराजीयात से वादी को उसके 1/2 हिस्से से महरूम रखने के इरादे से उक्त आराजीयात का दीगर व्यक्तियों को विक्रय कर वादी को बेदखल करने पर आमादा हैं जिसका प्रतिवादी संख्या 1 को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं।

Scanned by CamScanner

वादी ने जब प्रतिवादी 1 को अभी अन्तिम बार दिनांक 15/09/2016 को उसका 1/2 हिस्सा नाम लगाने बाबत कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 नाम लगाने से साफ इन्कार हो गया व उक्त आराजीयात दीगर व्यक्तियों को विक्रय कर वादी को उसके 1/2 हिस्से से बेदखल करने की धमकी दी, जिससे वादी को अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने बाबत यह वाद विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 पेश किया जाना आवश्यक हुआ हैं।

वादी ने वाद के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 डिकी किया जाकर घोषणा इस आशय की फरमायी जावें कि वाद–पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्से में वादी को 1/2 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 1 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि विवादित आराजीयात वर्णित वाद–पत्र के पैरा संख्या 1 में वादी के हिस्से की आराजी में प्रतिवादी किसी प्रकार की दखलन्दाजी उत्पन्न न स्वंय करें न अन्य से करावें तथा न कब्जे काश्त से बेदखल करें तथा न ही उक्त आराजीयात को किसी दीगर व्यक्ति को रहन, बेय, मुन्तकिल विक्रय आदि करें तथा राजस्व रिकार्ड एंव मौके की यथावत स्थिति बनाये रखें।

प्रक्रम दर्ज रजिस्टर जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गयी। दिनांक 27/09/2016 को प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री नानूराम धाभाई, श्री अनवर शैख द्वारा वकालतनामा पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया, जो बाद जांच तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 फोरमल पक्षकार हैं।

विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र, दस्तावेजात नकल जमाबन्दी सम्वत 2069 से 2072 व नक्शा ट्रेस तथा पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि पक्षकारान आपस में सगे भाई होकर एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य हैं, जो स्व0 कानाराम के वारिसान है, विवादित आराजीयात में हिन्दू उत्तराधिकार के तहत वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का समान हक व हिस्सा बनता है, जिसको प्रतिवादी संख्या 1 ने राजीनामा पेश कर वादी के वाद को स्वीकार किया है एवं दावा डिक्री

Scanned by CamScanner

किये जाने में किसी प्रकार की आपत्ति नही जतायी है, ऐसी स्थिति में मुताबिक राजीनामा वादी का वाद डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात में वादी को 1/2 हिस्से का व प्रतिवादी संख्या 1 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खाता संख्या 74 की आराजी खसरा नम्बर 9, 10 कुल किता 02 कुल रकबा 1.2600 हैक्टेयर वाके ग्राम डोगरा तह0 मौजमाबाद व खाता संख्या 156 के आराजी खसरा नम्बर 1941, 1942, 1943 कुल किता 03 कुल रकबा 2.6200 हैक्टेयर वाके ग्राम मांगलवाडा, तहसील मौजमाबाद में वादी को 1/2 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 1 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 10/07/2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
दूदू जिला जयपुर राज़0।

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

[illegible] बनाम 1. [illegible] दावा बाबत [illegible]

मुकदमा नं. 186/2018

मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू [illegible]

मिनजानिब मुद्दई रूबरू [illegible]

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

[illegible]

ई।

दस्तखत दूदू

ओहदा

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
ी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
गलत नामा			स्टाम्प अर्जी		
ह सबूत			महन्ताना वकील		
वकील			खर्चा गवाहान		
ज्ञान			फीस कमिश्नर		
श्नर			सावल इजराय हुक्मनामा		
राय हुक्मनामा			मुताफरिक		
मीजान			मीजान		

र्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner